



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122021-232095
CG-DL-E-23122021-232095

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4978]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 23, 2021/पौष 2, 1943

No. 4978]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 23, 2021/PAUSA 2, 1943

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5369(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 2क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा सोया मील के उत्पादन, स्टॉकिंग और वितरण को विनियमित करने के लिए निम्न आदेश बनाती है, अर्थात:-

- (1) यह आदेश आवश्यक वस्तु आदेश, 2021 के नाम से जाना जाएगा।
- (2) यह सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में, अनुसूची में, क्रम सं. (8) के बाद, निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात:-
“(9) सोया मील”.
- यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से 30 जून, 2022 तक लागू रहेगी।

[फा. सं. 06/02/2017-Oil]

पार्थ एस. दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Food and Public Distribution)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd December, 2021

S.O. 5369(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2A, of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government, hereby makes the following Order, to regulate the production, stocking and distribution of Soya Meal namely:-

1. (1) This Order may be called Essential Commodities Order, 2021.
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Essential Commodities Act, 1955, in the Schedule, after serial No. (8), the following item shall be added, namely:-
“(9) Soya Meal”.
3. This Notification shall remain in force for a period up to 30th June, 2022 from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 06/02/2017-Oil]

PARTHA S. DAS, Jt. Secy.